अनवान नैनासिंह V/S TPR समदड़ी
मुकदमा नंबर 281 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

10-11-25

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 2 से 8 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी वकील द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल रहे।

दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

प्रार्थी वकील की बहस है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 237/127 रकबा 1.6349 हैक्टेयर भूमि ग्राम देवलियाली तहसील समदडी में अवस्थित है। प्रार्थी विवादित भूमि का रेकडेर्ड खातेदार है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से विप्रार्थीगण माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है, प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है।लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि का नेखमबंदी किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

विप्रार्थी अधिवक्ता का कथन किया कि रा.भू.अ. की धारा 111–128 के अनुसार नेखबंदी करवाने से पूर्व प्रार्थी को विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाना आवश्यक है,पटवारी हल्का की सीमाज्ञान रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने सीमज्ञान करवाने से इन्कार किया गया है, प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 2 से 8 अपने –अपने हिस्से पर काबिज काश्त है विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जा काश्त भूखण्ड पर जोर जबरन अतिक्रमण करने या तारबंदी नष्ट करने की कार्यवाही नहीं की गई है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने से एवं विवादित भूमि का सीमाज्ञान के अभाव होने से काबिल–ए–खारिज है ।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी, और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट को गंभीरतापूर्वक अवलोकनकिया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का विवेचन किया जिसमे पाया कि ग्राम देवलियाली के खसरा संख्या 237/127 रकबा 1.6349 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के खातेदारी मे दर्ज है जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है इस प्रकारप्रार्थी निवादित भ्झूम के रिकोर्डड खातेदार है और रिकोर्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है जिसका प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते है जिसक [illegible] धारा 128:– सीमा सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा [illegible] में निर्धारित रीति से तय किए जायेगे :

1{परन्तु खेतो की सीमाबों सम्बन्धी आवेदन पत्र, [illegible] यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नही हो किन्तु सही सीमा चिन्हो के अभाव में ऐस विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें}

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.01 18:02:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

अनवान नैनसिंह v/s TPR समदड़ी
मुकदमा नंबर 281 / 2025

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर पर किया जाना है पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 02.04.2025 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर कोई विवाद उल्लेख नहीं है ऐसी स्थिति में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 128 (1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा देवलियाली तहसील समदडी के खसरा संख्या 237/127 रकबा 1.6349 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश हेतु विधिनुसार कार्यवाही हेतु तहसीलदार समदडी को निर्देशित किया जाता है विवाद की स्थिति होने पर पालना पेश करे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.01 18:02:38 IST
Reason: SelfAttested